राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 695/2011/जयपुर

मै आवास विकास लि.,
जवाहर नगर, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स टैक्स, जोन–द्वितीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक ..... प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 27/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 128/आरवेट/WT-II/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 24.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लिजिंग टैक्स, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 23 व 24 तहत् कायम मांग राशि रूपये 32,69,542/– को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.09.2009 को पारित कर मांग राशि रूपये 32,69,542/– आरोपित की गई। अपीलार्थी व्यवहारी एक लिमिटेड कम्पनी है व सिविल कान्ट्रेक्टर के रूप में कार्य करती है। उनके द्वारा कुल प्राप्तियॉ 20,87,82,807/– पर विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र लिये हुए है, अतः विज्ञप्ति संख्या F12(63)FD/Tax/2005-80 date 11.08.1986 के अनुसरण में 1.5 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क रूपये 31,31,742/– कायम की गई है। साथ ही विलम्ब से देय कर जमा कराने के कारण अधिनियम की धारा 55 के तहत् ब्याज आरोपित किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कुल राशि रूपये 20,87,82,807/– में से राशि रूपये 15,81,06,797/– का भुगतान सब–कान्ट्रेक्टर को किया गया, शेष बची राशि रूपये 5,06,76,010/– पर ही

लगातार.....2

विमुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत की दर से देय है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उप पर दोहरा करारोपण हो गया है। अतः सब–कॉन्ट्रेक्टर द्वारा चुकाये गये कर का लाभ मुख्य कॉन्ट्रेक्टर को दिया जावे। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी विभागीय उपराजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपीलार्थी व्यवहारी के तर्क सारहीन है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का गैनन डंकर्ले का वर्ष 1989 का निर्णय इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। आरवेट एक्ट में वर्क कॉंट्रेक्ट में कटौती के प्रावधान स्पष्ट रूप से किये गये है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक विधिसम्मत घोषित किये गये है। नियम 22(2ए) में स्पष्ट प्रावधानों का उल्लेख है कि कर योग्य टर्नओवर किस प्रकार निर्धारित किया जायेगा, इससे यह उल्लेखनीय है कि मुख्य कॉन्ट्रेक्टर को कोई लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ सब–कॉन्ट्रेक्टर ले सकता है लेकिन सब–कॉन्ट्रेक्टर को प्राप्त कोई कर संबंधी लाभ मुख्य कॉन्ट्रेक्टर नही ले सकता यह स्थिति दिनांक 09.03.2015 तक रही। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 09.03.2015 के द्वारा उक्त स्थिति में परिवर्तन किया गया हैं चूंकि वेट एक्ट में आगत कर का लाभ देय है इसलिए अपीलार्थी व्यवहारी का दोहरा करारोपण का आरोप सारहीन है। उक्त प्रकरण दिनांक 09.03.2015 के पूर्व का होने के कारण अपीलार्थी द्वारा चाहा गया लाभ अनुज्ञेय नहीं है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी एंव सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा राशि रूपये 20,87,82,807/– पर 1.5 प्रतिशत से विमुक्ति शुल्क का आरोपण किया गया है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण वर्ष 2006–07 से संबंधित है, अतः राज्य सरकार की अधिसूचना इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। उक्तानुसार कान्ट्रेक्टर द्वारा संविदा कार्य के एवज में प्राप्त राशि रूपये 20,87,82,807/– पर विमुक्ति शुल्क के आधार पर 1.5 प्रतिशत की दर से कर देयता विधिनुकूल होने के कारण यथावत रखी जाती है। अपीलीय अधिकारी ने आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है।

6. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 24.12.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(**मदनलाल मालवीय**)
सदस्य

(**खेमराज**)
अध्यक्ष